



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27501

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या 1835 वर्ष 2026

उमेश चंद्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: महेंद्र कुमार प्रजापति

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार प्रजापति और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2004 में होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, आईपीसी की धारा 376 और 511 के तहत केस क्राइम संख्या 258 वर्ष 2010 के रूप में एक आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण, रिट याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे जमानत दे दी गई थी, और 27.07.2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, शासनादेश दिनांक 18.08.2023 के अनुक्रम में, शासनादेश दिनांक 18.08.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति को 16.09.2025 को रद्द कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की थी जिसे मंडलीय कमांडेंट, होमगार्ड, प्रयागराज द्वारा दिनांक 11.12.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह उपबंधित था कि उक्त आदेश के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता के पास डिप्टी कमांडेंट जनरल होम गार्ड, पूर्वी क्षेत्र, प्रयागराज के समक्ष अपील दायर करने का उपचार उपलब्ध है।
3. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि केवल एक आपराधिक मामले का लंबित होना लाभों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जहाँ शासनादेश दिनांक 18.08.2023 के खंड 5 और 6 को समन्वय पीठ के निर्णय महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: रिट ए संख्या 16186 वर्ष 2024, दिनांक 26.09.2025 को निर्णीत किया गया, में अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जो अपील दायर की जाएगी, उस पर विचार किया जाए।
5. ऐसे तर्क पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को **27.02.2026** तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है और उक्त आवेदन पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी उसके छह सप्ताह की अवधि के भीतर, कड़ाई से महेश कुमार (उपरोक्त) के निर्णय के आलोक में निर्णय लेंगे।

7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"